

तारीख
हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

जज
अदालत
हुक्म

9.6.22


शर्मा अधिवक्ता द्वारा मूल वार में त्वरीत सुनवाई का प्रार्थना पेश करने पर पत्रावली तलब की जाकर पेश हुई।

शर्मा अधिवक्ता उपस्थित।

चूंकि मूल वार शर्मा अधिवक्ता द्वारा उल्लूक प्रार्थना पर वास्ते पत्रावली जरिमे विद्वां खारिज करने ठाकर को स्वीकार करते हुए खारिज किया ~~गया है~~ जा चुका है।

अतः मूल वार के खारिज होने पर उक्त आवेदन का कोई औचित्य एवं महत्व नहीं होने से उक्त आवेदन भी इसी स्टेज पर जरिमे विद्वां खारिज किया जाता है तथा पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को समाप्त किया जाता है।

पत्रावली केसल सुमार होकर राखिल
दफ्तर हो


सहायक कलक्टर
(SDO) शिव